

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 115]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 मार्च 2012—चैत्र 1, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2012

क्र. एफ-3-10-2008-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्वारा डॉ. श्रीमती गायत्री यादव को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये संभागीय सतर्कता समिति, सागर संभाग, सागर में सदस्य के पद पर पुनः नियुक्त करती है.

No. F-3-10-2008-I-10.—In exercise of the powers conferred by Section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukt Evam Up-Lokayukt Adhinyam, 1981 (No. 37 of 1981), the State Government, on the recommendation of the Lokayukt, hereby appoint Dr. Smt. Gayatri Yadav as a Member of the Divisional Vigilance Committee, Sagar Division Sagar for a period of three years from the date of joining.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय शर्मा, उपसचिव.